छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विज्ञापन प्रारूप

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् राज्य के 10 जिलों से संबंधित 15 विकासखंडों में CFT परियोजना का विस्तार किया जाना है। CFT परियोजना के संचालन हेतु पात्र एवं इच्छुक NGOs/CSOs से **दिनांक–02/06/2016 की संध्या 5:00 बजे तक**, कार्यालयीन दिवसों में **रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)** आमंत्रित किये जाते है।

जिन विकासखंडों में CFT परियोजना का विस्तार किया जाना है, उनकी सूची निम्नानुसार है।

क्र.	विकासखंड का नाम	जिला का नाम
1	2	3
1	कटेकल्याण	दंतेवाड़ा
2	ऊसूर	बीजापुर
3	भैरमगढ़	बीजापुर
4	छिंदगढ़	सुकमा
5	ओरछा	नारायणपुर
6	कोन्टा	सुकमा
7	मैनपाट	सरगुजा
8	सुकमा	सुकमा
9	माकड़ी	कोण्डागांव
10	बीजापुर	बीजापुर
11	ओड़गी	सूरजपुर
12	देवभोग	गरियाबंद
13	अंतागढ़	कांकेर
14	बड़े राजपुर	कोण्डागांव
15	मैनपुर	गरियाबंद

आवेदन हेतु शर्तें एवं अन्य आवश्यक जानकारी

1) पंजीकृत NGO/CSO ही आवेदन करें।
2) रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.), स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा।
3) NGOs/CSOs से प्राप्त होने वाले E.O.I में संस्था की प्रोफाईल, पंजीयन प्रमाणपत्र, बॉयलॉज, नियमावली, पिछले 03 वर्षों का वार्षिक एवं ऑडिट रिपोर्ट, संस्था द्वारा पूर्व में अथवा वर्तमान में शासकीय योजनांतर्गत कार्य करने के अनुभव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सूची इत्यादि से संबंधित जानकारी समावेशित होना चाहिए।
4) प्रेषित किये जाने वाले E.O.I., आयुक्त–महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को संबोधित होना चाहिए।

5) E.O.I. में उस जिले एवं उस विकासखंड का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए जहां के लिये आवेदन किया जा रहा है। जिस E.O.I. में जिला एवं विकासखंड का नाम अंकित नहीं होगा, उस आवेदन/E.O.I. को निरस्त कर दिया जावेगा।

6) CFT परियोजना के विस्तार हेतु प्रस्तावित प्रत्येक विकासखंड हेतु एक NGO/CSO का चयन किया जावेगा।

7) किसी भी NGO/CSO को 5 (पाँच) से अधिक विकासखंडों में CFT परियोजना का संचालन कार्य नहीं सौंपा जावेगा **(पूर्व से संचालित परियोजनाओं एवं वर्तमान में इस विज्ञापन के अनुक्रम में सौंपी जाने वाली परियोजनाओं को मिलाकर)**। अतः जिस NGO/CSO द्वारा पूर्व से ही 5 या 5 से अधिक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ऐसे NGO/CSO कृपया आवेदन न करें। आवेदन करने की स्थिति में ऐसे NGO/CSO के आवेदन पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

8) 5 (पांच) वर्ष से कम अनुभव वाले तथा 28.00 लाख से कम वार्षिक टर्नओव्हर (Annual Turnover) वाले NGO/CSO चयन हेतु अपात्र होंगे। उचित होगा कि ऐसे NGO/CSO कृपया आवेदन न करें।

9) चयन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित मापदंडों के आधार पर **"राज्य स्तरीय चयन समिति"** के द्वारा प्रत्येक विकासखंड हेतु एक पात्र NGO/CSO का चयन किया जावेगा।

10) <u>प्रस्तावित चयन प्रक्रिया</u>

विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के अनुभव, अभिलेख, ऑडिट, NGOs/CSOs के पास उपलब्ध विशेषज्ञों एवं प्रस्तुतीकरण (Power Point Presentation) के आधार पर 05–क्षेत्रों में 20–20 अंको के आधार पर निम्नानुसार कुल 100 अंक होंगे। यह अधिकतम अंक होगा। अंक निम्नानुसार प्रदान किया जावेगा।

(अ) <u>प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM)/वाटरशेड प्रबंधन पर कार्य करने के अनुभव पर (अधिकतम–20 अंक)</u>

(i) 10 वर्ष से अधिक के अनुभव हेतु	–	20 अंक
(ii) 7 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक के अनुभव हेतु	–	15 अंक
(iii) 5 वर्ष से 7 वर्ष तक के अनुभव हेतु	–	12 अंक

<u>टीप :–(5 वर्ष से कम अनुभव वाले NGOs/CSOs चयन हेतु अपात्र होंगे।)</u>

(ब) <u>महिला स्व–सहायता समूह गठन/आजीविका विकास के क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव पर (अधिकतम–20 अंक)</u>

(i) 10 वर्ष से अधिक के अनुभव हेतु	–	20 अंक
(ii) 7 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक के अनुभव हेतु	–	15 अंक
(iii) 5 वर्ष से 7 वर्ष तक के अनुभव हेतु	–	12 अंक

<u>(टीप :–5 वर्ष से कम अनुभव वाले NGOs/CSOs चयन हेतु अपात्र होंगे।)</u>

(स) <u>जिले में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/शासकीय/अशासकीय संस्थाओं की परियोजनाएं क्रियान्वित करने के अनुभव पर (अधिकतम–20 अंक)</u>

(i) 1 करोड़ से अधिक की परियोजना हेतु	–	20 अंक
(ii) 50 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक की परियोजना हेतु	–	15 अंक
(iii) 28 लाख से 50 लाख तक की परियोजना हेतु	–	12 अंक

<u>टीप :–(28 लाख से कम परियोजना के अनुभव वाले NGOs/CSOs चयन हेतु अपात्र होंगे।)</u>

क्रमशः..

(द) **NGOs/CSOs के पास निम्नांकित क्षेत्रों में से न्यूनतम 03 क्षेत्रों के विशेषज्ञों (Experts) की टीम होने पर – 20 अंक प्रदान किया जावेगा।**

(i) स्वयं सहायता समूह विकास
(ii) आजीविका विकास
(iii) तकनीकी(Civil or Agri.Engg.)
(iv) सामाजिक गतिशीलता(Social Mobilization)

(टीप :– 03 से कम विशेषज्ञ होने पर कोई भी अंक नहीं दिया जावेगा, उपलब्ध विशेषज्ञों का पूर्ण बायोडाटा (CV), E.O.I. के साथ संलग्न हो।)

(ई) **NGOs/CSOs द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तुतीकरण (Power Point Presentation) पर अधिकतम– 20 अंक**

आवेदन करने वाले NGOs/CSOs को उपरोक्तानुसार उल्लेखित **अ, ब, स एवं द** के आधार पर अंक प्रदान किया जावेगा, तत्पश्चात् प्रत्येक विकासखंड (जिसमें CFT परियोजना का विस्तार किया जाना है) हेतु अधिकतम अंक अर्जित करने वाले प्रथम तीन NGOs/CSOs को **Power Point Presentation** हेतु राज्य स्तर पर आमंत्रित किया जावेगा। **Power Point Presentation** का अंक प्रदाय किये जाने के पश्चात् अंतिम मेरिट सूची/प्राथमिकता सूची बनायी जावेगी।

11) आवेदन पत्र प्राप्त होन की अंतिम तिथि 02/06/2016 की संध्या 5.00 बजे तक है।
12) दो या दो से अधिक NGOs/CSOs द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में उस NGO/CSO का चयन किया जावेगा जिसे उस जिले/विकासखंड में पूर्व में कार्य करने का अनुभव हो। इस स्थिति में भी अंक समान होने पर, CFT परियोजना के संचालन का अनुभव रखने वाले NGO/CSO को चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

आवश्यक :– "आवेदन करने वाले NGO/CSO को विगत 03 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट देना होगा। आवेदक NGO/CSO का वार्षिक टर्नओव्हर (Annual Turnover) न्यूनतम 28 लाख होना चाहिए। इससे कम टर्नओव्हर (Turnover) वाले NGO/CSO के नाम पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा।"

- **टीप :–** इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/4227, दिनांक–14/12/2015 में दिये गये निर्देश के परिपालन में कुछ जिलों से NGOs/CSOs के E.O.I. राज्य कार्यालय को प्राप्त हुये हैं। इन E.O.I. पर राज्य कार्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन NGOs/CSOs को, वर्तमान में जारी किये जा रहे विज्ञापन के तहत पुनः आवेदन करना होगा।

29/04/16

(पी. सी. मिश्रा)
आयुक्त
महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा. परिषद
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)